

21

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(87)वित्त1(1)आय.व्य/2015 717 जयपुर, दिनांक : 15-2-17
स्वीकृति संख्या :- /2016-17

कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय, उदयपुर ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत ।

महोदय,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्र.प. 1(6)सी.टी.ए.डी./स्वच्छ/प्रस्ताव/जकनि/2016-17 स्वीकृति संख्या 47/2016-17 दिनांक 31.01.2017 में अंकित कार्य एवं शर्तों के अनुरूप व्यय हेतु रुपये 2000.00 लाख (अक्षरे रुपये बीस करोड़ मात्र) की राशि आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित कर दी जावे :-

मांग संख्या-30

2202	-	सामान्य शिक्षा
01	-	प्रारम्भिक शिक्षा
796	-	जनजाति क्षेत्रीय उपयोजना
(08)	-	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से छात्रावासो/विद्यालयो का संचालन/संस्थापन
[03]	-	माँ बाड़ी केन्द्रो का संचालन
12.	-	सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)

इस राशि का उपयोग संबंधित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजनार्थ राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

94-

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा- प्रथम, राजस्थान, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर ।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर ।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग ।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग ।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग ।
7. रक्षित पत्रावली

Wj/hd
संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)